न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलेक्टर ब्यावर जिला–अजमेर

राजस्व वाद संख्या 111/2010

1. श्रीमती मैथी देवी पत्नी स्व0 श्री बिरदासिंह जाति रावत
2. श्री देवासिंह पुत्र श्री बिरदासिंह जाति रावत
3. श्री बीरमसिंह पुत्र श्री बिरदासिंह जाति रावत
4. श्री पूनमसिंह पुत्र श्री बिरदासिंह जाति रावत
5. श्री टीकमसिंह पुत्र श्री बिरदासिंह जाति रावत
6. श्री उदयसिंह पुत्र श्री बिरदासिंह जाति रावत
7. श्री गोपालसिंह पुत्र श्री बिरदासिंह जाति रावत
   समस्त जाति रावत निवासियान ग्राम मालपुरा सूबेदार का बाड़िया, तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज0)
8. श्रीमती सुगनादेवी पुत्री श्री बिरदासिंह पत्नी श्री बाबूसिंह जाति रावत निवासी मालपुरा सूबेदार का बाड़िया हाल मुकाम काछबली(हेडलाई) तहसील भीम(राजसमंद)
9. श्रीमती सीतादेवी पुत्री श्री बिरदासिंह पत्नी श्री कैलाशसिंह जाति रावत निवासी मालपुरा सूबेदार का बाड़िया, हाल मुकाम देलवाड़ा शेरों की बावड़ी ।
10. श्रीमती मीरा देवी पुत्री श्री बिरदासिंह पत्नी श्री पंचमसिंह जाति रावत निवासी मालपुरा सूबेदार का बाड़िया हाल निवासी काछबली (हेलडाई) तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)

.....वादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1. श्रीमती सायरीदेवी बेवा देवीसिंह रावत निवासी मालपुरा हाल मुकाम कृष्ण मिल की चाली ब्यावर
2. श्री मोहनसिंह पुत्र श्री देवीसिंह जाति रावत निवासी सूबेदार का बाड़िया, मालपुरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज0)
3. श्री पप्पूसिंह पुत्र श्री देवीसिंह जाति रावत
4. श्री टीकमसिंह पुत्र श्री देवीसिंह जाति रावत
5. श्री भगवानसिंह पुत्र श्री देवीसिंह जाति रावत
   सभी जाति रावत निवासी ग्राम मालपुरा, सूबेदार का बाड़िया, हाल मुकाम कृष्णा मिल की चाली, ब्यावर जिला अजमेर (राज0)
6. श्री नरेन्द्रसिंह चौहान पुत्र श्री मोहनसिंह जाति रावत निवासी मांडेडा तह. ब्यावर माण्डेडा तहसील ब्यावर, जिला अजमेर (राज0)
7. श्री अमित बोहरा पुत्र श्री ज्ञानचंद जाति जैन निवासी लोकाशाह नगर, ब्यावर
8. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार साहब (लैण्ड होल्डर) ब्यावर
9. राजस्थान सरकार बजरिये जिला कलेक्टर, अजमेर राज0
10. श्रीमान् उपपंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय तहसील परिसर ब्यावर

.....प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक 16-04-2018

वादीगण ने अपने वादपत्र में सारांशतः कथन किए हैं कि भूमि हाल खसरा संख्या 114 रकबा 02–10–00 किस्म बा.2, ख.सं. 115 रकबा 02–15–00 किस्म बा.2, ख.सं. 116 रकबा 02–08–00, ख.सं. 117 रकबा 02–01–00 किस्म बा.2 वाके मौजा मालपुरा पटवार हल्का मालपुरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर में स्थित है जिसका कुल रकबा 09–14–00 है. इन भूमियों के साबिक ख.सं. 95 रकबा 09–14–00 ही है। उक्त भूमियां राजस्व रेकार्ड वर्किंग जमाबन्दी संवत् 2041 में प्रार्थीगण के पिता व प्रतिवादीगण के पिता व पति को बराबर

.....लगातार

दीपक सहारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

–बराबर 1/2 हिस्से का हिस्सेदार खातेदार काश्तकार के रूप में दर्शा रखा है। राजस्व रेकार्ड अनुसार वादीगण के हिस्से की भूमि 04–17–00 है तथा वादीगण और प्रतिवादीगण के पिता/पति के द्वारा मौके पर भूमियों को पिछले 60 सालों से बाहमी बंटवारे के तहत बांट रखी है तथा अपने अपने हिस्से में आयी भूमि पर कब्जा काश्त करते हुए भूमि की तरक्की का कार्य करते चले आ रहे हैं जिसमें भूमि खसरा संख्या 117 व 117 प्रतिवादी के पिता एवं पति की हिस्से की भूमि पिछले लम्बे समय से चली आ ती है तथा मौके पर कब्जा काश्त प्रतिवादीगण के पिता एवं पति का ही है। प्रतिवादीगण के पिता पति के द्वारा निजी लाभ के लिए कुए की खुदाई का कार्य ख.नं. 114 के कोने पर करीब 30 वर्ष पूर्व कार्य आरंभ करवाया किन्तु 15 फिट गहरा करवाने के पश्चात् धन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण खुदाई के कार्य को बन्द किया गया तथा वर्तमान में इस खड्डे पर मिट्टी उडकर अन्दर गिरने से यह खड्डा 15 फिट से कम होकर करीब 4 फिट गहरा ही रह चुका है। वादीगण के पिता का कब्जा काश्त खसरा संख्या 115 व 116 पर पिछले 60 सालों से अधिक समय से रहा है जिसमें प्रार्थीगण के पिता व पति द्वारा स्वयं की अर्जित आय के धन को भूमि के काबिले काश्त करने और रखने मे किया जा चुका है। वादीगण की भूमि होने के कारण ही वादीगण के दादा अर्थात् वादिया के दादी सुर की मृत्यु पर उसका चबूतरा भी भूमि खसरा संख्या 108 बनवाया गया जो वादीगण के कुए के नजदीक है तथा वादीगण के दादा स्व0 बहादुरसिंह का चबूतरा बने हुए करीब 15 साल हो चुके हैं तथा वादीगण के हस्ब कब्जा काश्त की भूमि खसरा संख्या 115, 116 को काबिले काश्त करने के साथ साथ उपज लेने हेतु कुए की खुदाई का कार्य भी इन्ही भूमियों पर करीब 25 साल पूर्व वादीगण के पिता पति के द्वारा अपनी व्यक्तिगत आय से खुदवाया है जिसे नक्शे में भी दर्शा रखा है तथा इस कुए की खुदाई का कार्य वादीगण के पिता एवं पति द्वारा भूमि खसरा संख्या 115 के उत्तरी दिशा की पाली पर खुदवाया गया तथा इसी प्रकार भूमि खसरा संख्या 116 जो वादीगण की हस्ब काश्त की भूमि है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के हिस्से की भूमि ख.सं. 114, 117 ही होने के कारण प्रतिवादीगण ने अपने हिस्से की भूमि खसरा संख्या 114 के उत्तरी दिशा की पाली के पश्चिमी दिशा की तरफ खुदाई का कार्य किया है जो उपरोक्त पेरेग्राफ में वर्णित है तथा प्रतिवादीगण के द्वारा अपने खुदाई के इस कुए अर्थात खड्डे के पास ही अपने पूर्वजों के दाह संस्कार हो जाने के पश्चात् उनकी याद में उनके नाम की पुतलिया बिठा रखी है जो देवीसिंह प्रतिवादीगण का पिता एवं पति है उसकी पुतली है तथा एक प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र अर्थात प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के भाई मंगलसिंह के नाम की पुतली लगा रखी है जो पुख्ता साबित करता है कि प्रतिवादीगण के हस्ब कब्जा में भूमि खसरा नम्बर 114, 117 ही रही है।

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को रूपयों की आवश्यकता बताते हुए दिनांक 05.05.2001 को भूमि खसरा संख्या 111, 112, 114, 117 कुल रकबा 07–10–00 के बेचान का इकरार प्रार्थिया के पति एवं वादी संख्या 2 लगायत 10 के पिता से 1,23,231/– अक्षरे एक लाख तेइस हजार दौ सो इगतीस रूपया नकद प्राप्त करते हुए भूमि के बेचान किये जाने का इकरार किया है तथा इन भूमियों का पूरा का पूरा हिस्सा ही प्रतिवादीगण के द्वारा बेचान किया गया है तथा समय पर रजिस्ट्री नहीं कराने के कारण प्रार्थिया के पति, वादी संख्या 2 लगायत 10 के पिता द्वारा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्यावर के समक्ष दीवानी वाद प्रस्तुत किया गया जिसमें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्यावर द्वारा दिनांक 30.05.2002 को अपना निर्णय पारित किया है तथा अपने निर्णय की पालना में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्यावर के द्वारा आदेश पारित करते हुए मुकदमा संख्या 33/2001 इजराय संख्या

.....लगातार

श्रीयुत सभारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

7/2002 की पालना में पंजीयन बेचाननामा प्रतिवादी संख्या 8 के समक्ष करवाया गया है जो कि दिनांक 16.02.2008 को करवाया गया है जिसका हवाला भी पंजीबद्ध बेचाननामा में स्पष्ट अंकित है। प्रतिवादीगण को प्रारंभिक अवस्था में ही उक्त मुकदमें की जानकारी रही तथा इसके बावजूद अपनी अनुपस्थिति दर्ज करवाई तथा इजराय संख्या 7/2002 की पालना होने के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के द्वारा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्यावर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी के तहत प्रस्तुत किया गया जो भी माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 18.01.2008 को खारिज़ किया जा चुका है।

वादीगगण के पति ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति रहे हैं जिन्हें राजस्व रेकार्ड की कम जानकारी रही है, इसी बात का बेजा फायदा उठाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 हल्का पटवारी व प्रतिवादी संख्या 8 के समक्ष उपस्थित होकर राजस्व रेकार्ड में उलटफेर कर उसका बेजा फायदा उठाने की कोशिश करते हुए भूमि खसरा संख्या 115 और 116 जो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की कत्तई किसी प्रकार से नहीं है उसके बेचान का दस्तावेज दिनांक 26.07.2010 को प्रतिवादी संख्या 5 व 7 के पक्ष में भूमि खसरा संख्या 115, 116 बाबत् बेचनानामा तहरीर एवं तकमील करवाया है जो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के द्वारा किये गये अपराधिक कृत्य का परिणाम है जबकि इन भूमियों से प्रतिवादीगण का कत्तई कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के मध्य की भूमियों खसरा संख्या 114, 115, 116, 117 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य पिछले 60 सालों से ही बाहमी बंटवारा होकर भूमि खसरा संख्या 114 और 117 प्रतिवादीगण को दी हुई है तथा दोनों खसरान् का कुल रकबा 04–11–00 है जो राजस्व रेकार्ड के अनुसार 6 बिस्वा जमीन कम है, किन्तु मौके पर ही 60 साल पहले बाहमी बंटवारे के तहत बराबर बराबर 4–17–00 भूमि करते हुए बांटी गई है तथा इसी प्रकार भूमि खसरा संख्या 114, 117 का कुल रकबा 04–11–00 नहीं होकर मौके पर 04–17–00 ही है। वादीगण के हिस्से की भूमि खसरा संख्या 115, 116 का कुल रकबा 05–03–00 दर्शाया हुआ है जो मौके पर 6 बिस्वा कम भूमि है। मौके पर बराबर बरार करते हुए डोल पाल सेरा पाली मौके पर की हुई है। प्रतिवादीगण ने अपने हिस्से की आयी तमाम भूमि को वादीगण को बेच दिये जाने से भूमि खसरा संख्या 114, 115, 116, 117 में किसी भी प्रकार की कोई हिस्से की भूमि बकाया नहीं रही है तथा खसरा संख्या 114, 115, 116, 117 पूरी की पूरी भूमि कुल रकबा 09–14–00 वादीगण की हो चुकी है तथा वादीगण का कब्जा ही पूरी भूमि पर अब चला आ रहा है।

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की नियत प्रारंभिक अवस्था से ही खराब रही है जो इस बात का पुख्ता सबूत है कि इकरारनामा दिनांक 05.05.2001 में सरकारी भूमि खसरा संख्या 112 उनकी व्यक्तिगत खातेदारी की नहीं होने के बावजूद बेचान किये जाने का इकरार किया है जिसकी जानकारी वादीगण को वर्तमान में हुई तथा सरकारी योजना के तहत खसरा संख्या 112 पर हेलीपेड बनाये जाने बाबत् प्रस्तावित भूमि पिछले 15 वर्षों से हो रखी है।

प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के अधीनस्थ कर्मचारी हल्का पटवारी की उक्त भूमियों बाबत् सीधी सांठगांठ प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 से रही है और प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की भूमियां खसरा संख्या 115, 116 मौके पर नहीं होने के बावजूद फौती दाखिल के तहत नामान्तरकरण संख्या 438 ग्राम पंचायत द्वारा किये जाने में पूरा सहयोग दिया है तथा हल्का पटवारी ने इस नामान्तरकरण संख्या 438 बाबत् मौका की रिपोर्ट झूठी गलत दी है इसमें वादीगण को बिरदा वल्द बहादुरसिंह हिस्सा 1 के रूप में दर्शाया गया है तथा सरपंच ग्राम पंचायत मालपुरा द्वारा दिनांक 06.08.2010 को की गई नामान्तरकरण की कार्यवाही में प्रति0

.....लगातार

पीयूष सांगरिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

संख्या 8 के अधीनस्थ कर्मचारी हल्का पटवारी ने मौके की रिपोर्ट गलत दी है जिसमें वादीगण के 1/2 हिससे को भी बिल्कुल जानबूझकर हटा दिया गया जबकि भूमि खसरा संख्या 115, 116 राजस्व रेकार्ड में 1/2 होने के बावजूद मौके पर वादीगण की ही पूरे रकबे की भूमि रही हैं। वादी संख्या 2 लगायत 7 रोजगार के सिलसिले में अधिकांशतया गांव मालपुरा के बाहर रहकर मजदूरी करते हैं वर्तमान में वादिया के पति एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 10 के पिता की तबीयत अचानक खराब होने और दौरान इलाज दिनांक 21.09.2010 को देहान्त हो जाने के कारण सभी प्रतिवादीगण गांव में एक साथ रहने लगत तब वादीगण को ग्रामवासियों से जानकारी हुई कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 उनका कोई भी हिससा भूमि में नहीं होने के बावजूद पटवारी से सरपंच से सांठगांठ कर तुम्हारे साथ धोखाधड़ी करने हेतु तैयार हो रखे हैं। तब तहसील से रेकार्ड निकलवाकर कार्यवाही को आरम्भ करना पड़ा तथा जानकारी में आया कि न्यायालय के निर्णय की पालना में इजराय संख्या 7/2002 के तहत वादीगण के हक में खसरा संख्या 114, 117 की राजस्व रेकार्ड में आमद रफत भी हो चुकी है। पटवारी हल्का तथा सरपंच ग्राम पंचायत मालपुरा की मिलीभगत को साबित करने के साथ धोखाधड़ी के अपराध से जवाबदेह है। वाद का कारण अंतिम बार दिनांक 25.09.2010 को उत्पन्न हुआ जब वादीगण को राजस्व रेकार्ड से जानकारी हुई तथा दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है।

अतः वादीगण के हक में विरूद्ध प्रतिवादीगण भूमि खसरा नम्बर 115, 116 वाके मौजा मालपुरा पटवार हल्का मालपुरा बाबत् घोषणात्मक डिक्री फरमावें कि वादीगण भूमि खसरा संख्या 115, 116 की खातेदारी प्राप्त करने के कानूनन हकदार हैं तथा वादीगण के हक में भूमि खसरा संख्या 115, 116 के सम्पूर्ण रकबे की खातेदारी का हक घोषित करने के साथ साथ वादीगण के हक में तमाम राजस्व रेकार्ड में आमूल चूल परिवर्तन करते हुए वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करने के साथ राजस्व रेकार्ड में खातेदार काश्तकार के रूप में दर्शाया जावे तथा लगान के वसूली की कार्यवाही इन भूमियों बाबत् वादीगण से की जावे तथा इन भूमियों बाबत् वादीगण को पासबुक भी जारी किये जाने के आदेश न्यायहित में फरमावें। वादीगण के हक में विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणात्मक डिक्री फरमावे कि भूमि खसरा नम्बर 115, 116 में वादीगण का 1/2 हिस्सा नहीं होकर पूर्ण रकबा की भूमि वादीगण की भूमि है तथा इस संबंध में वादीगण के 1/2 हिस्से के रेकार्ड को दुरूस्त करते हुए वादीगण के हक में पूरे रकबा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी प्रकार अन्य जो भूमि खसरा नम्बर 115, 116 बाबत् राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के हक में है उसे तत्काल प्रीाव से निरस्त किये जाने के आदेश फरमावें। वादीगण के हक में विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री फरमावें कि बेचाननामा दिनांक 26.07.2010 व्यर्थ एवं शून्य प्रभावी दस्तावेज है। वादीगण के हक में विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश फरमावें कि भूमि खसरा संख्या 115, 116 वादीगण की कब्जा काश्त की भूमि होने से तथा वादीगण इसके खातेदार काश्कार होने से इस भूमि के उपयोग उपभाग में ना तो प्रतिवादीगण स्वयं ना ही उनके नौकार चारक याद दोस्त रिश्तेदार मुख्तयारआम इत्यादि बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा इन भूमियों की पाल डोल रूख दरख्त पान पापड़ी सेरापाली आवपोशी रगत पड़त को पानी ढाल इत्यादि को क्षति नहीं पहुंचावे तथा अन्य अनुतोष जो वादीगण के हक में हो प्रतिवादीगण से दिलाये जाने के आदेश फरमावें।

वादपत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 व 7 को सम्मन तामील होने के उपरान्त भी अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने प्रतिवापत्र एवं काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर सारांशतः कथन किए हैं कि वादपत्र की चरण संख्या 1 से 3 राजस्व रेकार्ड से संबंधित है एवं वादग्रस्त आराजियात के प्रत्येक खसरान में से $^1/_2$–$^1/_2$ हिस्से के वादीगण व प्रतिवादी सं0

......................लगातार

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

संख्या 1 लगायत 5 काबिज काश्त चले आ रहे हैं व खसरा संख्या 115, 116 के $^1/_2$ भाग को दिनांक 26.07.2010 को प्रतिवादी संख्या 6 व 7 को बेचान कर दी तब से खसरा संख्या 115, 116 के $^1/_2$ भाग पर प्रतिवादी संख्या 6 से 7 काबिज काश्त चले आ रहे हैं। वर्णित राजस्व रेकार्ड अनुसार पुख्ता सबू है कि बराबर बराबर $^1/_2$ हिस्से के रूप में वादीगण की 4 बीघा 17 बिस्वा भूमि है। राजस्व रेकार्ड व मौके पर कब्जे काश्त के कथन सही है। चूंकि उपरोक्त वादग्रस्त आराजियात खसरा संख्या 114 से 117 वादीगण के पिता/पति/दादा श्री बिरदा व प्रतिवादीगण के पति/पिता स्व. श्री देवीसिंह का प्रत्येक खसरान में $^1/_2$–$^1/_2$भाग पर काबिज काश्त चले आये व श्री बिरदा व श्री देवीसिंह की मृत्यु के पश्चात् वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 उपरोक्त प्रत्येक खसरान् में $^1/_2$–$^1/_2$ भाग पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं व उपरोक्त वादग्रस्त आराजियात का किसी भी प्रकार से कभी भी ना तो बाहमी बंटवारा हुआ है व ना ही विधिक बंटवारा आज दिन तक हुआ है एवं वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 आज भी सहखातेदार काबिज काश्त चले आ रहे हैं। वादीगण का कभी भी खसरा संख्या 114, 117 में से $^1/_2$ भाग से ज्यादा पर कब्जा काश्त नहीं रहा है व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के स्व. पिता/पति श्री देवीसिंह ने खसरा संख्या 114 के अपने हिस्से वाले भाग पर ही एक कुएं की खुदाई की है जो वर्तमान में भी खुदा हुआ है एवं उक्त कुएं में पानी नहीं होने के कारण भी कम गहरा खुदा हुआ है। वादग्रस्त आराजियात के खसरा संख्यचा 115, 116 पर कभी भी वादीगण के पिता/पति/दादा अकेले का उक्त खसरान् के सम्पूर्ण भग पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। वादीगण व प्रतिवादीगण प्रत्येक ने अपने अपने हिस्से में तरक्की व भूमि सुधार किया है एवं खसरा संख्या 115 मे वादीगण के पिता/पति व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के पिता/पति ने एक कुए की खुदाई की थी जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण के दादा/पिता श्री बिरदासिंह व देवीसिंह ने $^1/_2$–$^1/_2$ हिस्से का खर्चा वहन किया है व उक्त कुए की खुदाई में आए प्रत्येक खर्चे का $^1/_2$–$^1/_2$ भाग का खर्चा वहन करते हुए पानी की पिलाई आज दिवस तक अपने $^1/_2$ हिस्से अनुसार करते आ रहे हैं। वादीगण के दादीससुर की मृत्यु पर उसका चबूतरा बनावाया हो तो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की जानकारी में नहीं है व खसरा संख्या 108 विवादास्पद भी नहीं है। खसरा संख्या 114 के उत्तरी दिशा की पाली के पास जो कुआ प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के पति/पिता ने खुदवाया था वह स्वयं की अर्जित आय से खुदवाया था व उक्त खसरा में से $^1/_2$ भाग हिस्सा जो प्रतिवादी संख्या 1 लकगायत 5 के पति/पिता के हिस्से में आता है अर्थात उक्त खसरा के उत्तरी दिशा के $^1/_2$ भाग पर ही प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के पिता/पति का कब्जा काश्त रहा इसलिए उक्त खसरा संख्या के उत्तरी भाग पर ही कुए की खुदाई की थी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के पूर्वज/भाई की मृत्यु के पश्चात् इस कुएं के पास पुतलिया बिठायी है व उक्त पुतलियों की सेवा पूजा आज भी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ही करते आये हैं व उक्त खसरा संख्या 114, 117 के $^1/_2$ भाग पर आज भी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ही काबिज काश्त चले आ रहे हैं व केवल खसरा संख्या 114, 117 के पूरे भाग पर अकेले प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा अब चूंकि उक्त खसरान् में प्रतिवादीगण ने काफी धनबल व श्रमबल लगाया और उक्त खसरान् को उपजाऊ बनाया है व अब उक्त खसरान की कीमतें ज्यादाबढ़ गयी है इसलिये वादीगण की नियत में खोट आ गयी है और उक्त खसरान के $^1/_2$ भाग को वादीगण हड़प करना चाहते हैं जो कि विधि विरूद्ध व गैर कानूनी है। खसरा संख्या 111, 112, 114, 117 कुल रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा के बेचान का दिनांक 05.05.2001 व/या कभी भी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने इकरार नहीं किया था, व कभी भी 123231/– रूपये आज दिन तक प्राप्त नहीं किये एवं यदि वादीगण के पास इस प्रकार का कोई इकरारनामा है भी तो वो कत्तई फर्जी, कूटरचित व गैर कानूनी है जिसके विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 कानूनी कार्यवाही करने के लिए अपने अधिकार

...................लगातार

पीयूष समारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

सुरक्षित रखते हैं एवं वादीगण के कथन कि उक्त इकरारनामा के आधार पर रजिस्ट्री नहीं कराने के कारण वादीगण के पिता/पति द्वारा माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष दीवानी वाद प्रस्तुत किया गया जिसमें निर्णय/डिक्री पारित फरमायी जिसकी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को जानकारी नहीं थी व राजस्व रेकार्ड दस्तावेजों की अनदेखी करते हुए माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ने निर्णय/डिक्री पारित फरमायी जो कि प्रारंभ से ही शून्य व निरस्तनीय है जिसके विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने एकतरफा कार्यवाही को सेटसाईट कर पुनः सुनवाई हेतु पूर्व में प्रार्थना पत्र लगा रखा है जो कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर बताया है कि उक्त प्रार्थना पत्र आज भी विचाराधीन है एवं खसरा संख्या 111/1 जो कि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दिनांक 05.05.2001 को बतौर गैरखातेदारी में दर्ज है जिसका बेचान हस्तान्तरण आदि करने का अधिकार प्रतिवादी संख्या 2 को नहीं है व खसरा संख्या 112 जो कि सरकारी जमीन है व आज भी हैलीपेड हेतु प्रस्तावित है जिसका भी किसी प्रकार से बेचान/हस्तान्तरण नहीं हो सकता व प्रतिवादी संख्या 5 भगवानसिंह दिनांक 05.05.2001 को मात्र 16 वर्ष का था अर्थात् दिनांक 05.05.2001 को नाबालिग था व नाबालिग द्वारा किसी प्रकार की संविदा की जाती है तो प्रारंभ से ही शून्य है जिसका कोई प्रभाव नहीं माना जा सकता है व श्रीमती सायरी देवी जिसका कि उक्त नामान्तकरण पर कोई अंगूठा निशानी व हस्ताक्षर नहीं किये व अन्य प्रतिवादीगण ने कभी भी ऐसा इकरारनामा निष्पादित नहीं किया था अर्थात इकरारनामा दिनांक 05.05.2001 एक फर्जी, कूटरचित दस्तावेज है जिसे निरस्त करवाने के प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 अधिकारी है। मुकदमा संख्या 33/2010 की कभी भी जानकारी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की नहीं रही है व मुकदमा संख्या 33/2010 किस न्यायालय का है व कहां विचाराधीन है इसकी जवाबदेइन्दा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को नहीं है एवं जो कि कानूनी प्रक्रिया से अनभिज्ञ हैं। वादग्रस्त आराजियात खसरा संख्या 115 ही नही बल्कि खसरा संख्या 114, 116, 117 में से भी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का $^1/_2 - ^1/_2$ भाग काबिज काश्त सहखातेदारी में रहे हैं व आज भी है और खसरा संख्या 115, 116 का $^1/_2$ भाग प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने दिनांक 26.07.2010 को प्रतिवादी संख्या 6 व 7 को संभला दिया व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 द्वारा किया गया बेचान दिनांक 26.07.2010 विधिक व अपने हक हिस्से में होने के कारण सही किया है। प्रतिवादीसंख्या 6 व 7 ने दिनांक 06.08.2010 को राजस्व रेकार्ड में उक्त खरीदशुदा आराजियात का नामान्तरण अपने हक में इन्द्राजात करवाया है जो सही है व शेष इन्द्राजात $^1/_2$ भाग पर वादीगण के हक में अंकन किया है जो सही है एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 व हल्का पटवारी सहित सरपंच ग्राम पंचायत मालपुरा ने किसी प्रकार का कोई अपराधिक कृत्य नहीं किया है बल्कि इनहोंने अपने हक व कानूनन अधिकार का उपयोग करते हुए अपने हक की आराजी कृषि भूमि का बेचान व नामान्तरकरण किया/करवाया है। राजस्थान सरकार के अधिकारी व कर्मचारियों को पक्षकार बनाने से पूर्व उन्हें 2 माह का नोटिस वाद प्रस्तुत करने से पूर्व नहीं दिये जाने से वाद चलने योग्य नहीं है। ख.सं. 114, 117 वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के हक में $^1/_2 - ^1/_2$ भाग पर सहखातेदारी अंकित चली आ रही है व प्रतिवादी संख्या 8 के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा जो कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के विपरीत की है वो गैर कानूनी है जिसे दुरूस्त करवाने के अधिकारी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 व उनके जीवित 3 बहनें अधिकारीणी है जिनका आज दिन तक कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण का मौजूदा वाद में केवल मात्र निषेधाज्ञा चाही किन्तु अपने मालिकाना हक के बाबत् अथवा कोई भी किसी किस्म की घोषणा का अनुतोष नहीं चाहा है, कूननन घोषणा के अभाव में निषेधाज्ञा का वाद पोषणीय नहीं है। वादीगण ने सभी आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाया है अतएव पक्षकारों के अभाव में वाद पोषणीय नहीं है। अतः वाद मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावे।

.................लगातार

पीयूष सामरिया
न्यायिक अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

प्रतिवाद पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण में अनुतोष सहित कुल 6 तनकियात कायम किये जाकर पक्षकारान की साक्ष्य तलब की गई। वादीगण की ओर से वादी संख्या 2 श्री देवासिंह पुत्र बिरदासिंह जाति रावत तथा स्वतंत्र गवाह श्री गुलाबसिंह पुत्र श्री पदम सिंह जाति रावत आयु 70 साल निवासी कालिंजर व स्वतंत्र गवाह श्री खंगारसिंह पुत्र मेन्दुसिंह जाति रावत आयु 60 साल निवासी मालपुरा बाड़िया सूबेदार ने साक्ष्य के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किये जिसमें वादी के कथन कमोबेश उनके वादपत्र अनुसार ही रहे तथा स्वतंत्र गवाहान ने वादी के वाद कथनों की पुष्टि अपने साक्ष्य के शपथ पत्रों में अंकित की।

प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व 5 क्रमशः श्रीमती सायरीदेवी पत्नि स्व. श्री देवीसिंह व मोहनसिंह पुत्र देवीसिंह व श्री भगवानसिंह पुत्र देवीसिंह व स्वतंत्र गवाह कंवरी पुत्री स्व. देवीसिंह रावत निवासी सूबेदार का बाड़िया व श्री कमरूद्दीन पुत्र श्री घीसा जाति साई निवासी ग्राम बैरवा नगर ने साक्ष्य के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किये जिसमें प्रतिवादीगण के कथन कमोबेश उनके प्रतिवादपत्र व काउन्टर क्लेम अनुसार ही रहे तथा स्वतंत्र गवाहान ने प्रतिवादीगण के कथनों की पुष्टि अपने साक्ष्य के शपथ पत्रों में अंकित की।

वादीगण व उनके स्वतंत्र गवाहान से अधिवक्ता प्रतिवादी ने जिरह (प्रतिपरीक्षण) की जिसमें वादी देवासिंह पुत्र बिरदासिंह ने जिरह में अपने बयानों में कथन किए वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि ख.नं. 11, 114, 117, 115, 116 हैं। यह कहना सही है कि ख.सं. 11 पूर्व में सिवायचक थी, यह कहना सही है कि ख.सं. 114 से 117 सहखातेदारी की कृषि भूमि थी, यह कहना सही है कि प्रदर्श डी–1 संयुक्त खातेदारी की है अजखुदकहा कि हमारा आपस में बाहमी बंटवारा हो चुका है जो हमारे पिताजी व देवीसिंह के बीच में हो रखा था। देवीसिंह के 5 लड़के थे जिसमें से एक शांत हो गया, शेष 4 हैं। देवीसिंह जी के बड़ी लड़की है जिसका आज मुझे नाम याद नहीं है। देवीसिंह जी के और कोई लड़किया है या नहीं इसकी मुझे जानकारी नहीं है। यह कहना सही है कि राजस्व रेकार्ड में बंटवारा नहीं हो रखा है लेकिन बाहमी बंटवारा हो रखा है। देवीसिंह जी के चार लड़के जिनके नाम मोहन, पप्पू, टीकम व भगवान है, देवीसिंह जी के जिस लड़के की मृत्यु हुई उसका नाम मुझे मालूम नहीं लड़के की मृत्यु हुई उसका नाम मुझे मालूम नहीं है। मोहन व उसका परिवार सूबेदार का बाड़िया में व शेष मील की चाली (कृष्णा मिल्स चाली) में रहते हैं। भगवानसिंह की आयु लगभग 30 वर्ष है जिसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है। यह कहना सही है कि माननीय अपर जिला सेशन न्यायालय ब्यावर से जो डिक्री जारी हुई वह एकपक्षीय हुई। यह कहना गलत है कि कि ख.सं. 114, 117 बरवक्त डिक्री शामिल की हो। यह कहना सही है कि संवत् 2058–61 की जमाबन्दी अनुसार ख.सं. 114, 115, 116, 117 सहखातेदारी की है। यह कहना सही है कि मेरे पिताजी और मोहन के पिताजी के शामिल में थी। यह कहना सही है कि हमारे आपस में कोई बाहमी बंटवारा होने का दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है। यह कहना सही है कि कुछ जमीन जो सरकारी थी उस जमीन की भी डिक्री प्राप्त कर ली थी। मै नहीं बता सकता कि पूर्व में जो डिक्री प्राप्त हुई थी, को प्रस्तुत करते समय भगवानसिंह नाबालिग था, यह कहना गलत है कि जब हमने डिक्री प्राप्त की थी तब ख.सं. 114, 117 शामिल की हो। ख.सं. 114 से 117 के पुराने खसरा नम्बर मुझे याद नहीं है। रेकार्ड देखकर बताया कि इनके पुराने नम्बर 95 है। यह कहना सही है कि इनके पुराने नम्बर 95 है। यह कहना सही है कि पुराना खसरा नम्बर 95 की कृषि भूमि मेरे पिताजी बिरदासिंह व देवीसिंह दोनों ने मिलकर खरीदा है। यह कहना गलत है कि ख.सं. 112 पूर्व में मोहनसिंह के नाम हो बल्कि यह खसरा संख्या आज भी सरकारी ही है। खसरासंख्या 115, 116 में से 115 पर सन् 1982 में हमने कुआं खुदवाया था, यह कहना गलत है कि ये कुआं मेरे पिताजी व देवीसिंह ने मिलकर

..................लगातार

पीयूष समारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

खुदवाया हो। यह कहना गलत है कि इस कुए में हम खसरा संख्या 111, 114, 117 में से आज दिन तक पानी नहीं पिलाया है, केवल हम इस कुए से खसरा संख्या 115, 116 को ही पिलाई करते हैं। यह कहना सही है कि प्रदर्श–11 में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के नाम खातेदारी में दर्ज है।

स्वतंत्र गवाह श्री गुलाबसिंह पुत्र श्री पदम सिंह जाति रावत उम्र 73 साल निवासी कालिंजर ने अपने प्रतिपरीक्षण (जिरह) में बयानों में कथन किए हैं कि मालपुरा से कालिंजर 5–6 किलोमीटर दूर पडता है, शिवपुरा घाटा रोड़ पर मैं टूट–फूट का कार्य करता था, मैने दीवारों से संबंधित टूट–फुट का कार्य किय, मै मिस्त्री था, वादग्रस्त जमीन के खसरा संख्या 115, 116 है, वहां पर 10–12 बीघा जमीन है, 10–12 बीघा जमीन सायरीदेवी व मेथीदेवी दोनों की शामिल है, खसरा संख्या 114 भी इसी भूमि 10–12 बीघा में ही है, खसरा संख्या 115 व 116 के लगते हुए दक्षिण की ओर मुकना महाराज के खेत हैं, उत्तर साइड में सरकारी पड़त है, पूर्व दिशा में नाडी का नाला है अजखुदकहा कि अब स्कूल बन गई है। पश्चिम साइड में वादीगण देवा, टीकमसिंह, उदयसिंह आदि के मकान है। मै पढ़ा लिखा हूँ। मै हमेशा मालपुरा होकर मेरे गांव आता–जाता था, यह कहना गलत है कि मैं मैथी का रिश्तेदार हूँ। यह कहना सही है कि कालिंजर के पास फत्तह की पोल है। यह कहना सही है कि मेरा गांव फत्तह की पोल ही है। यह सही है कि शपथ पत्र में फतेह की पोल नहीं लिखा है क्योंकि कालिंजर का बाड़िया है। यह कहना सही है कि कालिंजर एक बड़ा गांव है। यह कहना सही है कि मालपुरा ग्राम ब्यावर से बिजयनगर जाने वाले रोड़ पर स्थित है। देवीसिंह के कितने लड़के व लड़किया है मुझे जानकारी नहीं है। मुझे जानकारी नहीं है कि मेथी व सायरी के मध्य कोई केस चल रहा हो।

स्वतंत्र गवाह श्री खंगारसिंह पुत्र श्री मेन्दुसिंह जाति रावत उम्र 58 साल निवासी मालपुरा ने अपने प्रतिपरीक्षण (जिरह) में बयानों में कथन किए हैं कि यह कहना सही है कि मैं मालपुरा से रोजाना ब्यावर आता हूँ, यह कहना सही है कि मालपुरा और सूबेदार का बाड़िया अलग–अलग गांव हैं, यह कहना सही है कि मेथी व सायरी के खेत ग्राम सूबेदार का बाड़िया में स्थित है, यह कहना सही है कि ग्राम मालपुरा बिजयनगर से ब्यावर को जाने वाले रोड़ पर स्थित है। सूबेदार का बाड़िया ढाई किलोमीटर रामपुरा गूंदों का बाला की ओर है। यह कहना सही है कि मैं वादग्रस्त खेंतों का खसरा नम्बर नहीं जानता। यह चार खेत हैं। यह कहना सही कि शपथ पत्र पर मेरे हस्ताक्षर है। यह शपथ पत्र प्रदर्श–डी1 जिस पर मेरे हस्ताक्षर करवाए गए इन्होंने लिखवाये, मेरे हस्ताक्षर करवाये गये। देवीसिंह के कितने लड़के व लड़कियां है मेरी जानकारी में नहीं है। केवल मोहन को जानता हूँ।

प्रतिवादीगण व उनके स्वतंत्र गवाहान से अधिवक्ता वादी ने जिरह (प्रतिपरीक्षण) की जिसमें प्रतिवादिया सायरी पत्नि देवीसिंह , मोहनसिंह पुत्र देवीसिंह व श्री भगवानसिंह पुत्र देवीसिंह व स्वतंत्र गवाह कंवरी पुत्री स्व. देवीसिंह रावत निवासी सूबेदार का बाड़िया व श्री कमरूद्दीन पुत्र श्री घीसा जाति साई निवासी ग्राम बैरवा नगर में अपने बयानों में कथन किए जिसमें प्रतिवादिया श्रीमती सायरी पत्नि देवीसिंह ने (प्रतिपरीक्षण) जिरह में अपने बयानों में कथन किए कि मैं खेतों की गिनती नहीं बता सकती अजखुदकहा कि चार खेत हैं, मै अनपढ़ हूँ इस वजह से खसरा नम्बर नहीं बता सकती हूँ, शपथ पत्र में लिखे खसरा संख्या गलत नहीं है, मै इनके नम्बर नहीं बता सकती, खेतों को हम शामिल आधे–आधे बोते थे। मुझे मालूम नहीं है कि हमारे द्वारा बोये जा रहे खेतों के खसरा नम्बर क्या थे, यह कहना गलत है कि मैने बिरदा को कोई जगीन नहीं बेची। वादग्रस्त आराजियात की ना तो मैने रजिस्ट्री करवाई व न ही हस्ताक्षर किए। कोर्ट के जरिए जो रजिस्ट्री हुई वह गलत है। मेरी जानकारी में नहीं है कि भूमियों का नामान्तरकरण हुआ हो। मैने खसरा नम्बर 114, 117 का पूरा का पूरा रकबा बेचान कर दिया हो। यह कहना गलत है कि प्रदर्श–8 पर लगी फोटो वादिया के पति व वादीगण के पिता बिरदासिंह की है । यह सही है कि सायरी देवी पत्नि

.....लगातार

श्रीयुत रामारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

देवीसिंह मैं ही हूँ। मोहनसिंह, पप्पूसिंह, टीकमसिंह, भगवानसिंह मेरे पुत्र हैं। यह कहना गलत है कि मैने व मेरे पुत्रों ने वादग्रस्त आराजी ख.नं. 114 व 117 को 123231 रू. में बेची हो। यह सही है कि गांव के अन्दर अलग अलग खेत बोते हैं। मुझे ज्ञान नहीं है कि दिनांक 05.05.2001 को खसरा संख्या 114, 117, 111 व 112 के पूरे रकबे को मैने बिरदासिंह को बेचान कर दिया हो। यह सही है कि चार खेतों में से दो खेत वादीगण बोते थे व दो खेत मैं बोती थी। चार खेतों पर मेरा कब्जा है, वादग्रस्त भूमि पर कुआ भी खुदवाया हुआ है। कुआ मैने बिरदा के शामिल खुदवाया था, मै कुए बाबत् कोई बिल नहीं दे रही हूँ क्योंकि पहले बिल नहीं देते थे। यह कहना गलत है कि कुआ अकेले बिरदासिंह ने खुदवाया हो। यह कहना सही है कि वादग्रस्त भूमि पर बिरदासिंह के लड़कों के मकानात बने हुए हैं, मै अनपढ़ हूँ, इस कारण से दिनांक 11.01.2014 शपथ पत्र में क्या लिखा है, मैं नहीं बता सकती। कुद को खुदवाने में कितने रूपये लगे, मुझे हिसाब पता नहीं है। खेतों को वर्तमान में इधर का मैं, उधर का वो बो रहे हैं। यह कहना सही है कि खसरा संख्या 108 में बहादुरसिंह का चबूतरा बना हुआ है। यह सही है कि खसरा नम्बर 16 में इनके शमशान बने हुए हैं। मैने धाणा बाबा का मन्दिर नहीं देखा, मैं कुआ खुदा, उसके खसरा नम्बर नहीं बता सकती हूँ, मुझे खसरा नम्बर की जानकारी नहीं है। जिससे मैं यह नहीं बता सकती कि खसरा नम्बर 115 पर कुआ खुदा हो। दिनांक 05.05.2001 को मैने बिरदासिंह को वादग्रसत आराजियात का कब्जा नहीं सौंपा। कोर्ट से रजिस्ट्री हुई जो डिक्री के आधार पर हुई उसकी मुझे जानकारी नहीं है। यह सही है कि उक्त एडीजे कोर्ट के मुकदमें को भी हमारी तरफ से वकील श्री सूरजसिंह जी लड़ रहे थे। यह कहना सही है कि बाद में उक्त प्रकरण में अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र सूरजसिंह जी वकील साहब ने लगवाया था। प्रदर्श–9 देखकर कहा कि इसमें काटा–फासी हो रखी है उसकी मुझे जानकारी नहीं है। यह कहना गलत है कि चारों खेतों पर देवासिंह का कब्जा नहीं होकर मेरा कब्जा है। मैने बेचान इकरार व रजिस्ट्री का फर्जी होना बाबत् किसी भी कोर्ट में कार्यवाही नहीं की व न ही पुलिस में कोई कार्यवाही की। यह सही है कि चारों खेतों पर देवासिंह वगैरह ने तारबंदी करी हुई है अजखुदकहा कि उसमें मेरे पत्थर भी पड़े हुए हैं। मुझे जानकारी नहीं है कि मैने डिक्री व फैसले को चैलेंज करने पर उसे खारिज़ कर दिया हो। मुझे मेरे वकील साहब ने यह बात नहीं बताई। यह कहना गलत है कि एडीजे कोर्ट के प्रकरण में नोटिस मुझे प्राप्त हुआ हो। यह कहना सही है कि फैसला एडीजे कोर्ट का मेरे खिलाफ हुआ है। यह कहना गलत है कि इकरारनामें पर मेरे कोई अंगूठा निशानी हो। मैने अंगूठा बाबत् किसी थाने/पुलिस बाबत् कोई कार्यवाही नही की। एडीजे कोर्ट में जो मुकदमा व इजराय चली उसके नम्बर मुझे मालू नहीं है। शपथ पत्र में लिखे गये नम्बर सही हैं। मैं शपथ पत्र में लिखे मुकदमें व इजराय के लिखे नम्बर नही बता सकती। मुझे जानकारी नहीं है कि जमाबंदी में किए गए इन्द्राज सही हो। मैने वादग्रसत जमीन किसी को नहीं बेची। यह सही है कि मैने नरेन्द्रसिंह व अमित बोहरा को जमीने 2 बीघा बेची है। इनके खसरा नम्बर नहीं बता सकती। इन खेतों का कितना रकबा था इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मैने एडीजे कोर्ट के फैसले की अपील नहीं की। मुझे कोर्ट पर पूरा भरोसा है। यह कहना सही है कि खेत नम्बर 114 से 117 आपस में बंटे हुए हैं फिर कहा कि बंटे हुए नही है।

वादी श्री मोहनसिंह ने अपने (प्रतिपरीक्षण) जिरह में बयानों में कथन किए कि वादग्रस्त खेतों की कुल संख्या 5 है जिनके खसरा संख्या 111, 114, 115, 116 व 117 है। वादग्रस्त आराजी को वादीगण ही बोते आ रहे हैं, हमें तो जमीन पर जाने भी नहीं देते व जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। जान से मारने की धमकी बाबत् मैने कोई पुलिस कार्यवाही नहीं की। सायरी देवी मेरी मां है, पप्पूसिंह, टीकमसिंह, भगवानसिंह मेरे भाई हैं अजखुदकहा कि मेरे एक भाई मंगलसिंह और है जो गुजर चुके हैं। यह कहना गलत है

..................लगातार

पीयूष समारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

कि हमने प्रदर्श–12 के जरिये बिरदासिंह पुत्र. बादसिंह को बेचान किया हो। हमने इसका कोई इकरारनामा भी नहीं किया। यह सही है कि इकरारनामें बाबत् एडीजे कोर्ट में वाद चल रहा है। मुझे यह जानकारी नहीं है कि इकरारनामें के आधार पर वादीगण के नाम रजिस्ट्री हो गई हो। यह सही है कि एडीजे कोर्ट मे हमारी तरफ से इकरार के आधार पर अधिवक्ता श्री सूरजसिंह जी है। यह सही है कि वाद में फैसला/डिक्री हो जाने के पश्चात् डिक्री सेट असाइड बाबत् विचाराधीन चल रहा है। वादग्रस्त खसरा में वादीगण के मकान नहीं बने है। अजखुदकहा कि अलग खेतों पर है। मकान किस खसरा नम्बर पर बने हुए हैं इसकी मुझे जानकारी नहीं है। इकरारनामें के बाद से व इससे पूर्व ही वादीगण का ही कब्जा चला आ रहा है। यह कहना गलत है कि कुआ बिरदासिंह जी ने अकेलें ही खुदवाया हो, हमारा भी हिस्सा है एवं हमने भी खुदवाया है। कुआ बुजुर्गों के हाथ का खुदा हुआ है। हमें तो खेतों पर जाने ही नहीं देते हैं। बहादुरसिंह जी का कोई चबूतरा बना हो तो इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं हैं। खसरा नम्बर 116 में शमशान हो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। यह कहना सही है श्कि प्रदर्श– 11 जमाबन्दी में कांट–छांट हो रखी है। वादीगण ने वादग्रस्त खेतों पर तारबन्दी कर रखी हो इसकी मुझे जानकारी नहीं है। यह कहना गलत है कि एडीजे कोर्ट के फैसले/डिक्री में नोटिस आए हों इसकी मुझे जानकारी नहीं है। बाहमी बंटवारा हो रखे इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद वादग्रस्त खेतों पर मुझे जाने नहीं देते व वादीगण का ही कब्जा काश्त है। मियाद का प्रार्थना पत्र खारिज हो चुका है।

स्वतंत्र गवाह श्री कमरूददीन पुत्र श्री घीसा जाति मुस्लिम सांई आयु 55 साल निवासी बैरवा नगर मालपुरा ने अपने (प्रतिपरीक्षण) जिरह में बयानों में कथन किए हैं कि यह सही है कि मैं ग्राम सूबेदार का बाड़िया मालपुरा का रहने वाला नहीं हूँ। देवीसिंह को देखकर कहा कि ये बिरदासिंह हैं। मै चूना तगारी का कार्य करता हूँ, इसके अलावाय आज न्यायालय में वादीगण नहीं आये हैं जबकि उदयसिंह उपस्थित है जिस पर वकील श्री सूरजसिंह ने आपत्ति की कि उदयसिंह के पास कोई पहचान पत्र है ही नहीं जिस पर आज साथ नहीं होना तथा घर पर होना जाहिर किया। वादग्रस्त जायदाद ख.सं. 114 व 117 है। 115 व 116 बेचान हो गई है। आस पास के खेतों के खसरा नम्बर मैं नहीं बता सकता तथा किसके हैं वह भी नहीं बता सकता। वादग्रस्त आराजी पर बाउन्ड्री पर चारों तरफ कुछ भी मेड़बन्दी टाईप नहीं है। मैने वादग्रस्त आराजी का रेकार्ड नहीं देखा। मै आता जाता रहता हूँ तथा मेरी बातचीत होती रहती है इसलिए वादग्रस्त भूमियों के बारे में जानता हूँ। एडीजे कोर्ट में मुकदमा चला उसकी मुझे जानकारी नहीं है। खसरा नम्बर 114, 117 कोर्ट के जरिए वादीगण को बेचान हुआ हो तो मुझे जानकारी नहीं है। मैने देवीसिंह का लड़कों व लड़कियों के राशन कार्ड व पहचान पत्र देखे हैं। पत्रावली में रेकार्ड पर हैं या नहीं मुझे जानकारी नहीं है अजखुदकहा कि तीन लड़किया व चार लड़के हैं। खसरा नम्बर 114 व 117 के लिए कहते हैं कि नरेन्द्र को बेच दिया था। मैने बेचान नामा नहीं देखा। मौके पर वादग्रस्त भूमियां दोनों पार्टियां बो रही है। मैने बोते हुए नहीं देखा। यह सही है कि ये खेत यांका है।

प्रश्न– वादग्रस्त भूमियों पर यांका कब्जा है।

उत्तर– यह सही है कि ये खेत यांका है।

उक्त प्रश्न पर वकील प्रतिवादी ने आपत्ति की कि यहां दोनो पक्ष उपस्थित है जो स्थिति अस्पष्ट है। यह सही कि चारों खेत अलग–अलग है। दो खेत बिक गए व दो खसरा संख्या 114 व 117 पर दोनों का कब्जा है (दोनों पक्षों का है) देवीसिंह जी का कब्जा है, देवा पिता बिरदा जी का कब्जा है। मैने गिरदावरी कभी नहीं देखी।

स्वतंत्र गवाह श्रीमती कंवरी पत्नि श्री सवाईसिंह जाति रावत उम्र 45 साल निवासी कृष्णा मिल की चाली ब्यावर ने अपने (प्रतिपरीक्षण) जिरह में बयानों में कथन किए हैं कि मैं पढ़ी लिख नहीं हूँ, मुझे जानकारी नहीं है कि उपरोक्त वाद में मैने पक्षकार बनने का कोई

..................लगातार

पीयूष समारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर
ब्यावर

प्रार्थना पत्र लगाया हो एवं जिसे खारिज़ कर दिया हो। वादग्रस्त भूमियों के खसरा नम्बर मैं नहीं बता सकती। भूमि का रकबा भी मै नहीं बता सकती हूँ। वादग्रस्त खेत चार हैं। मुझे जानकारी नहीं है कि खसरा नम्बर 114 व 117 का न्यायालय के आदेश से बेचान हुआ हो। चार खेतों के तारबन्दी की हुई है, यह तारबन्दी हमने शामिल में करी है। यह कहना गलत है कि मैं इन खेतों में खातेदार नहीं हो। मैं राजस्व रेकार्ड में नहीं समझती हूँ, मैं जमाबन्दी में खातेदार हूँ। वादीगण के शमशान वादग्रस्त आराजी में बने हो, मेरे को जानकारी नहीं है। यह कहना गलत है कि दो खेत हम व दो खेत वादीगण बोते हों अजखुदकहा कि शामलात में बोते थे। यह कहना गलत है कि वादीगण की खातेदारी हो, सायरी देवी भी खातेदार है। मुझे एडीजे कोर्ट में मुकदमा चला हो इसकी जानकारी मुझे नहीं है। वादग्रस्त आराजी में वादीगण के मकान बने हुए हैं। कौनसे खसरा नम्बर पर मकान बने हुए हैं, मै नहीं बता सकती। देवीसिंह की पुत्री होने का कोई प्रमाण पत्र मेरे पास नहीं है। वाद में जो पेश किया है उन कागजों पर मेरे हस्ताक्षर हैं। यह सही है कि दिनांक 22.04.2014 को प्रस्तुत शपथ पत्र में क्या लिखा हुआ है, मुझे जानकारी नहीं है। तारबंदी करवाये जाने में मेरे तीन हजार रूपये खर्च हुए जिनका बिल मेरे पास नहीं है। यह सही है कि वादग्रस्त आराजी मे कुआ खुदा हुआ है। कुआ कौनसे खसरे में खुदा हुआ है, मैं नहीं बता सकती हूँ। प्रतिवादीगण सायरी देवी, मोहनसिंह पप्पूसिंह टीकमसिंह व भगवानसिंह ने खसरा नम्बर 114 व 117 बेचा हो, इसकी जानकारी मुझे नही है। वादग्रस्त आराजी जमाबन्दी में किस–किस के नाम है, मुझे जानकारी नहीं है। यह कहना गलत है कि इस न्यायालय में हमारे द्वारा वाद दायर किया हो एवं खारिज़ कर दिया गया हो। मेरे पिताजी की मृत्यु कितने साल पहले हुई मुझे जानकारी नहीं है। यह कहना गलत है कि वादग्रस्त आराजी का बाहमी बंटवारा हो रखा हो, यह कहना भी गलत है कि दो खेत वादीगण बोते हो व दो खेत प्रतिवादीगण बोते हो बल्कि शामिल में बोते थे। यह कहना गलत है कि वादग्रस्त आराजी पर मेरा कब्जा नहीं हो। यह कहना सही है कि वादग्रस्त आराजी के पूर्व, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण में किसकी खातेदारी है, मै नहीं बता सकती हूँ। यह सही है कि वादग्रस्त आराजी में एक चबूतरा भी बना हुआ है जो मेरे पिताजी व मेरे भाई का है। वादग्रस्त आराजी पर दो चबूतरे बने हुए हैं, चबूतरे कौनसे खसरे में बने हुए हैं, मैं नहीं बता सकती हूँ। यह सही है कि वादग्रस्त आराजी में किसका कितना हिस्सा है, मैं नहीं बता सकती। मैने एडीजे कोर्ट में कोई मुकदमा नहीं किया है। कुआ खुदवाने के बिल व बाउचर मेरे पास नहीं है। इकरारनामा दिनांक 05.05.2001 की जानकारी मुझे नहीं है। प्रदर्श–8 किसकी फोटो है, पहचान नहीं सकती हूँ। मैने इकरारनामा 05.05.2001 फर्जी होने बाबत् कोई कार्यवाही नहीं की है। पटवारी हल्का द्वारा राजस्व रेकार्ड में उलटफेर करने की कोई शिकायत हमने नहीं की। यह कहना गलत है कि वादग्रस्त चारों खसरों पर वादीगण का कब्जा हो अजखुदकहा कि शामिल कब्जा है। यह कहना गलत है कि तारबंदी अकेले वादीगण ने की हो।

प्रतिवादी संख्या 5 श्री भगवानसिंह ने अपने (प्रतिपरीक्षण) जिरह में बयानों में कथन किए हैं कि जो स्थानान्तरण प्रमाण पत्र प्रदर्श–19 पेश किया है उसका हवाला वादपत्र में दिया हो तो मुझे ध्यान नहीं है, शपथ पत्र दिनांक 22.04.2014 में क्या लिखा हुआ है, पढ़ा लिखा नहीं होने से मैं नहीं बता सकता हूँ अजखुदकहा कि मै तीसरी कक्षा में पढा हुआ हूँ, मुझे खसरा नम्बरों की जानकारी है। वादग्रस्त खसरा नम्बर 111, 112, 113, 114 115, 116, 117 है। मैने इनकी जमाबन्दी देखी है। यह कहना गलत है कि जमाबन्दी में हमारा नहीं हो। यह कहना सही है कि सेशन न्यायालय में मुकदमा चला था, यदि हमारे विरूद्ध फैसला हुआ हो तो मुझे मालूम नहीं । यह कहना गलत है कि उक्त फैसले के विरूद्ध आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र लगाया उसकी जानकारी मुझे हो। यह प्रार्थना पत्र आदेश

.......................लगातार

पीयूष समारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

9 नियं 13 जाब्ता दीवानी खारिज हुआ हो, इसकी जानकारी भी मुझे नहीं है। सेशन न्यायालय की कोई अपील हुई हो, मेरी जानकारी में नहीं है। वादग्रस्त खेतों के चारों ओर तारबंदी करी हुई है, यह तारबंदी हमने करवाई। हमको जानकारी नहीं थी कि कोर्ट में बिल पेश करने पड़ेंगे इसलिए हमने तारबंद के बिल नहीं रखें। यह कहना गलत है कि तारबंदी देवा वगैरह ने करवाई हो। यह कहना गलत है कि कब्जा देवा वगैरह (वादीगण) का हो। वादग्रस्त भूमियों का रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा है। यह कहना गलत है कि इकरारनामा दिनांक 05.05.2001 पर मेरे हस्ताक्षर अंकित हो। सायरीदेवी मेरी मां है। मोहनसिंह पप्पूसिंह टीकमसिंह मेरे भाई है। मैं भगवानसिंह हूँ। मैने कोई इकरारनामा नहीं किया।

प्रश्न– सेशन न्यायालय में जो प्रकरण चला उसमें नाबालिग बाबत् एतराज नहीं किया?

उत्तर– मुझे प्रकरण चलने की जानकारी नहीं है।

पतलिया किस खसरे में बिठाई हुई है, खसरा नम्बर नहीं बता सकता हूँ। शपथ पत्र में जो खसरा अंकित है वह सही है लेकिन खसरा नम्बर कौनसे है, मुझे याद नहीं है। खसरा नम्बर 111, 112 खातेदारी के हैं। अजखुदकहा कि आधी सरकारी जमीन है। यह कहना गलत है कि उन पर देवा वगैरह का कब्जा हो। अजखुदकहा कि सरकारी भूमि की रजिस्ट्री करवाकर वादीगण बैठे हैं। रजिस्ट्री करवाकर ये वादीगण बैठे हैं परन्तु कब्जा हमारा है। यह कहना गलत है कि जमाबन्दी में हमारा नाम न हो व कब्जा हमारा न हो। प्रतिवादी संख्या 6 व 7 को खसरा नम्बर 114 व 117 की आधी जमीन बेची है। यह कहना गलत है कि इस जमीन को हमने अवैध रूप से बेची हो। इस जमीन पर प्रतिवादी संख्या 6 व 7 का कब्जा हो, मुझे जानकारी नहीं है। जो राजस्व रेकार्ड में पटवारी ने जो एन्ट्रियां की है वो सही की हो, मुझे जानकारी नहीं हैं। मेरे पिताजी की मृत्यु कब हुई, मुझे जानकारी नहीं है अजखुदकहा उस समय मैं 12 साल का था। खसरा नम्बर 114 व 117 को नरेन्द्र, अमित बोहरा को बेची, उसकी जानकारी मुझे है। यह सही है कि इस जमीन में हमारा नाम हट गया है, जमाबंदी में हम खातेदार नहीं है। यह कहना गलत है कि काउन्टर क्लेम जो पेश किया है, वह गलत किया हो। शपथ पत्र में एडीजे कोर्ट में निर्णय व डिक्री बाबत् लिखा है, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। एडीजे कोर्ट के सम्मन तामीली हुई हो उसकी जानकारी मुझे नहीं है। यह कहना गलत है कि मेरे पिताजी के जीते जी वादग्रस्त जमीन का बंटवारा हुआ हो। 114 से 117 में 1/2–1/2 हिस्सा हमारा व वादीगण काबिज है। यह कहना गलत है कि वादग्रस्त आराजी के हम खातेदार नहीं हो। यह कहना गलत है कि वादग्रस्त भूमि के किसी भी भू भाग पर हमारा कब्जा नहीं हो।

उभयपक्षान की साक्ष्य एवं जिरह के बाद दोनों पक्षों अधिवक्तागण की बहस अंतिम सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने लिखित बहस प्रस्तुत की जिसमें उनके कथन कमोबेश उनके वादपत्र अनुसार ही रहे तथा वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने के कथन किए। इसी प्रकार वकील प्रतिवादीगण ने बहस में अपने प्रतिवाद पत्र व काउन्टर क्लेम के कथनों को दोहराते हुए वादीगण का वाद मय हर्जे खर्चे खारिज़ किये जाने का निवेदन किया तथा मौखिक बहस के समर्थन में दिनांक 09.04.2018 को लिखित बहस प्रस्तुत की जिसमें कमोबेश अपने प्रतिवाद पत्र व काउन्टर क्लेम के कथनों को अंकित करते हुए लिखित बहस में कथन अंकित किए हैं कि वादीगण वादपत्र की तनकी संख्या 1 लगायत 3 को सिद्ध करने में असमर्थ हैं एवं वादपत्र में चाहा गया अनुतोष किसी भी रूप में प्राप्त करने के वादीगण अधिकारी नहीं है। इसके विपरीत प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने ठोस दस्तावेजी साक्ष्यों जमाबन्दियों व टी.सी. से प्रमाणित किया है कि ख.सं. 114 व 117 व 111 व 112 के बाबत् जो बेचाननामा निष्पादित हुआ है उक्त बेचाननामा प्रारम्भ से ही गैर खातेदारी की भूमि के बाबत् निष्पादित हुआ है व नाबालिग के विरूद्ध निष्पादित किया गया है व उक्त इकरारनामा प्रारंभ से ही कूटरचित व फर्जी होने के कारण एवं रकबा भी किसी प्रकार से मैच नहीं करने

.....लगातार

पीयूष रमारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

के कारण व राजस्व रेकार्ड के अनुसार बेचान करने का कोई अधिकार नहीं होने के कारण भी प्राप्त निर्णय/डिक्री के आधार पर निष्पादित बेचाननामा प्रारम्भिक तौर पर शून्य दस्तावेज है एवं शून्य दस्तावेज के आधार पर निष्पादित विक्रय पत्र प्रारंभ से ही शून्य दस्तावेज है जिसका कि विधि में कोई महत्व नहीं है इस कारण व ठोस दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 वादग्रस्त भूमियां खसरा संख्या 114 व 117 की 1/2 हिस्से की खातेदारी की घोषणा करवाने के विधिक अधिकारी है। खसरा संख्या 114 व 117 के बात् मृतक मंगलसिंह का किसी प्रकार से कोई विरासती नामान्तरण ना ही हो तो खोला गया था व ना ही वर्तमान में ही उनका नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन है, जिस बाबत् भी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 व उनकी तीनों बहने खातेदारी प्राप्ति हेतु घोषणा का वाद लाने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं व खसरा संख्या 114 व 117 के बाबत् जो बेचाननामा निष्पादित हुआ है, उक्त बेचाननामा शून्य होने के कारण उपरोक्त दोनों खसरान् में से 1/2 हिस्से की खातेदारी की घोषणा प्राप्त करने के प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 विधिक अधिकारी है एवं खसरा संख्या 115, 116 का किसी भी रूप में कभी भी बंटवारा नहीं हुआ है जिस बाबत् राजस्व रेकार्ड जमाबन्दियों से भी स्पष्ट है उपरोक्त खसरा संख्या 115 व 116 की अकेले वादीगण खातेदारी घोषणा करवाने के विधिक अधिकारी कत्ताई नहीं है व ना ही कानूनन हो सकते हैं। वकील प्रतिवादीगण ने अपनी मौखिक/लिखित बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2015(2) पेज 958 तथा डी.बी. स्पेशल अपील (रिट) नं. 642/2004 उनवान उगमसिंह व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य प्रस्तुत किये।

बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा प्रकरण में कायम तनकियात के आधार पर निम्न प्रकार न्यायनिर्णय पारित किया जाता है:–

तनकी नम्बर – 1 आया वादीगण वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 115, 116 के सम्पूर्ण रकबे की कानूनन खातेदारी प्राप्त करने की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं ?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर रहा है जिन्होंने इस तनकी के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत किये जिसमें **प्रदर्श–1** ग्राम मालपुरा का मिलान क्षेत्रफल है जिसमें साबिक खसरा संख्या 95 रकबा 09–14–00 के नए खसरा नम्बर 114 रकबा 02–10–00, 115 रकबा 02–15–00, 116 रकबा 02–08–00, 117 रकबा 02–01–00 बने हैं। **प्रदर्श–2** ग्राम मालपुरा की जमाबन्दी संवत् 2016–19 के खाता संख्या 95 है जिसमें साबिक खसरा संख्या 95 रकबा 09–14–00 में बिरदासिंह वल्द बादरसिंह 1 हिस्सा व देवीसिंह वल्द अहमासिंह 1 हिस्सा कौम रावत सा.देह अंकित है। **प्रदर्श–3** ग्राम मालपुरा की वर्किंग जमाबन्दी है जिसके खाता संख्या 58 में अंकित हाल खसरा संख्या 114 से 117 कुल कित्ता 4 कुल रकबा 09–14–00 में बिरदा वल्द बहादरसिंह 1 हिससा देवीसिंह वल्द अमरसिंह 1 हिससा कौम रावत सा. देह दर्ज है। **प्रदर्श–4** ग्राम मालपुरा की जमाबन्दी संवत् 2058–61 है जिसके खाता संख्या 104 में बिरदा वल्द बहादुरसिंह 1 हि. मु. सायरी बेवा देवीसिंह मोहनसिंह पप्पू बालिग टीकम भगवानसिंह मंगलसिंह नाबा. बसरबराही मु. सायरी माता खुद पि. देवीसिंह 1 हि. कौम रावत सा.देह खातेदार दर्ज है तथा इसी जमाबन्दी में लगे नामान्तरकरण संख्या 387 दिनांक 05.09.2008 जरिए रजिस्टर्ड दस्तावेज जरिये न्यायालय अपर जिला के आदेश तहसीलदार ब्यावर के क्रमांक भूअ/08/3078 दिनांक 26.08.2008 की पालना में ख.नं. 114 रकबा 02–10–00, 117 रकबा 02–01–00 पर बिरदासिंह पुत्र बहादुरसिंह कौम रावत के नाम खातेदारी दर्ज करने की स्वीकृति हुई। **प्रदर्श–5** खसरा गिरदावरी संवत् 2040–41 में साबिक खसरा संख्या 95 रकबा 09–14–00 के सम्पूर्ण रकबे पर बिरदा वल्द बादर द्वारा ज्वार व गेहूँ बोये जाना दर्ज है। **प्रदर्श–6** न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश महोदय ब्यावर के वाद संख्या 33/2001 उनवान बिरदासिंह बनाम श्रीमती सायरीदेवी व अन्य निर्णय दिनांक 30.05.2002 की छाया प्रति प्रस्तुत की है जिसमें माननीय

.....लगातार

पीयूष सनारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

अपर जिला न्यायाधीश महोदय ने ग्राम मालपुरा के खसरा संख्या 111, 112, 114 व 117 कुल रकबा 07–10–00 में वादी बिरदासिंह के पक्ष में इकरारनामा दिनांक 05.05.2001 के आधार पर वाद डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी का पंजीकरण करवाने व प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया है। उक्त निर्णय की डिक्री **प्रदर्श–7** है। **प्रदर्श–8** विक्रय विलेख दिनांक 14.02.2008 की प्रमाणित प्रति है जिसमें श्री बिरदासिंह पुत्र श्री बादसिंह के पक्ष में प्रतिवादीगण द्वारा जरिए न्यायिक आदेश के तहत निष्पादित किया गया है। **प्रदर्श–9** व **प्रदर्श–11** ग्राम मालपुरा की प्रमाणित जमाबन्दी संवत् 2065–68 है जिसके खाता संख्या 120 में वादग्रस्त खसरा संख्या 114 से 117 में वादीगण के पिता/पति श्री बिरदा वल्द बहादुसिंह हि.1 व प्रतिवादीगण सायरी बेवाप देवीसिंह पप्पू बा.टीकम भगवानसिंह मंगलसिंह नाबा. पि. देवासिंह बसरबराही माता सायरी खुद हि.1 कौम रावत सा. देह खातेदार अंकित है जिसमें जरिए नामां.सं. 387 दिनांक 05.09.2008 से ख.नं. 114 व 117 अकेले बिरदासिंह पुत्र बहादुरसिंह के नाम दर्ज होने का अंकन है तथा इसी जमाबन्दी में नामां. सं. 439 दिनांक 06.08.2010 तथ नामां. सं. 24.09.2010 के जरिये प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 द्वारा बेचान किये जाने से उनके स्थान पर क्रेता प्रतिवादी संख्या 6 व 7 क्रमशः नरेन्द्र चौहान वल्द मोहनसिंह तथा अमित बोहरा वल्द ज्ञानचंद के नाम नवीन अंकन स्वीकृत होना दर्ज है। **प्रदर्श–10** नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति है। **प्रदर्श–12** इकरारनामा दिनांक 05.05.2001 में प्रतिवादीगण श्रीमती सायरीदेवी पत्नि श्री देवीसिंह, श्री मोहनसिंह, टीकमसिंह, भगवानसिंह ने वादीगण के पिता/पति श्री बिरदासिंह पुत्र बादरसिंह के पक्ष में खसरा संख्या 111, 112, 114, 117 कुल रकबा 07–10–00 सम्पूर्ण रकबे का इकरार किया जाना अंकित है जिसके आधार पर प्रदर्श–6 माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश महोदय ने अन्य खसरा नम्बर के साथ खसरा नम्बर 114 व 117 के सम्पूर्ण रकबे की रजिस्ट्री वादीगण के हक में करवाये जाने के आदेश पारित किये हैं।

यहां यह उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त खसरा संख्या 114, 115, 116 ,117 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बराबर–बराबर हिस्से पूर्व में चला आ रहे थे, परन्तु उक्त वादग्रस्त खसरा संख्या 114 व 117 के सम्पूर्ण रकबे के बेचान का इकरार किये जाने के कोई हक अधिकार अकेले प्रतिवादीगण को नहीं थे, इसके बावजूद खसरा संख्या 114, 117 की भूमियों का इकरार किया जाना यह दर्शाता है कि उनके मध्य पूर्व में वादग्रस्त भूमियों बाबत् बाहमी बंटवारा हो चुका था जिससे वादीगण के पिता के हिस्से में खसरा संख्या 115, 116 तथा प्रतिवादीगण के हिस्से में खसरा संख्या 114 व 117 आना ज़ाहिर होता है। इसी के आधार पर खसरा संख्या 114 व 117 के सम्पूर्ण रकबे के बेचान का इकरार किया गया तथा इसी इकरारनामें के आधार पर माननीय अपर जिला न्यायाधीश महोदय ने प्रदर्श–6 निर्णय दिनांक 30.05.2002 से वादी का वाद डिक्री किया है। इसके अतिरिक्त भी प्रतिवादी संख्या 2 श्री मोहनसिंह पुत्र देवीसिंह जाति रावत ने अपने प्रतिपरीक्षण (जिरह) में यह स्पष्ट रूप से कथन किए हैं कि वादग्रस्त आराजियात पर वादीगण का ही कब्जा है जो प्रदर्श–5 खसरा गिरदावरी से भी साबित होता है। ऐसी स्थिति में वादीगण खसरा संख्या 115, 116 के सम्पूर्ण रकबे में खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाये के अधिकारी पाये जाते हैं तथा उक्त तनकी वादीगण अपने पक्ष में सिद्ध करने में सफल रहे हैं। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के विरूद्ध तय पाई जाती हैं।

तनकी नम्बर – 2 आया वादीगण वादग्रस्त खसरा संख्या 115, 116 में वादीगण का अंकित 1/2 हिस्सा न होकर पूरे रकबे की घोषणा करवाने के उक्त दुरूस्ती करवाने के अधिकारी हैं, तथा राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के नामों का इन्द्राजात को निरस्त करवाने के अधिकारी हैं ?

तनकी नम्बर – 3 आया वादीगण विवादग्रस्त खसरा संख्या 115, 116 बाबत प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा के अधिकारी हैं ?

...............लगातार

पीयूष समारिया
उपखण्ड अधि... सहायक कलक्टर
ब्यावर

इस तनकी संख्या–2 व 3 एक दूसरे की पूरक होने से इनको एक साथ तय किया जाना न्यायोचित है जिसको सिद्ध करने का भार वादीगण पर ही रहा है। चूंकि तनकी संख्या–1 में विस्तृत विवेचन किया जा चुका है जिसमें यह वादीगण वादग्रस्त खसरा संख्या 115, 116 में खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाये जाने के अधिकारी पाये गये हैं, ऐसी स्थिति में उक्त खसरा संख्या 115, 116 के पूरे रकबे में वादीगण स्वयं के नाम का इन्द्राजात करवाने तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के नामों का इन्द्राजात को निरस्त करवाने व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं। यह तनकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 तक की जाती है।

तनकी नम्बर – 4 आया वादीगण द्वारा वाद दायरी से पूर्व धारा 80 जाब्ता दीवानी का नोटिस नहीं दिये जाने से तथा आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के तहत वाद निरस्तनीय है ?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 पर रहा है। वादीगण ने राजस्थान सरकार के अधिकारी व कर्मचारी हैं जिनको वाद में पक्षकार बनाने हेतु पृथक से धारा 80 (2) प्रस्तुत कर कानूनी अवधि में छूट दिये जाने बाबत् कथन किये हैं जिसके तहत ही जांच रिपोर्ट पश्चात् वाद दर्ज करने के आदेश पारित किये गये हैं। इसके अलावा आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के आज्ञापक प्रावधानों के तहत (क) जहां वाद हेतु प्रकट नहीं करता है (ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय में नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है (ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है (घ) जहां वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है (ड.) जहां वह वाद दो प्रतियों में फाईल नहीं किया जाता है। उक्त प्रावधानों के तहत यह वादपत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 के परव्यूव में नहीं आता हैं। अतः यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध तथा वादीगण के पक्ष में तय पाई जाती है।

तनकी नम्बर – 5 आया प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 आराजी खसरा संख्या 114, 117 में 1/2 हिस्से की खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है ?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 पर रहा है जिनके द्वारा अपने प्रतिवाद पत्र व काउन्टर क्लेम के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं जिसमें **प्रदर्श डी–1** ग्राम मालपुरा की जमाबन्दी संवत् 2020–23 है जिसके खाता संख्या 64 में साबिक खसरा संख्या 95 रकबा 09–14–00 में बिरदासिंह वल्द बादरसिंह 1 हिस्सा व देवीसिंह वल्द अहमासिंह 1 हिस्सा कौम रावत सा.देह अंकित है। **प्रदर्श डी–2** ग्राम मालपुरा की जमाबन्दी संवत् 2020–23 के खाता संख्या 1 है जिसमें अंकित खसरा संख्या 93 व 92 सिवायचक दर्ज है। **प्रदर्श डी–3** ग्राम मालपुरा का मिलान क्षेत्रफल है जिसमें साबिक खसरा संख्या 95 रकबा 09–14–00 के नए खसरा नम्बर 114 रकबा 02–10–00, 115 रकबा 02–15–00, 116 रकबा 02–08–00, 117 रकबा 02–01–00 बने हैं व साबिक खसरा संख्या 92 के नए नम्बर 111 रकबा 02–02–00 तथा साबिक खसरा नम्बर 93 के हाल नम्बर 112 रकबा 01–03–00 बने हैं। **प्रदर्श डी–4** ग्राम मालपुरा की जमाबन्दी संवत् 2023–26 है जिसके खाता संख्या 1 में अन्य खसरान् के साथ अंकित साबिक खसरा संख्या 92 व 93 पुराना पड़त भूमि बंजर दर्ज है। **प्रदर्श डी–5** ग्राम मालपुरा की जमाबन्दी संवत् 2023–23 के खाता संख्या 48 है जिसमें साबिक खसरा संख्या 95 रकबा 09–14–00 में बिरदासिंह वल्द बादरसिंह 1 हिस्सा व देवीसिंह वल्द अमासिंह 1 हिस्सा कौम रावत सा.देह अंकित है। **प्रदर्श डी–6** ग्राम मालपुरा की वर्किंग जमाबन्दी संवत् 2041 का खाता संख्या 1 है जिसमें अंकित खसरा संख्या 111 व 112 सिवायचक दर्ज है। **प्रदर्श डी–7** ग्राम मालपुरा की वर्किंग जमाबंदी

....................लगातार

पीयूष समारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

है जिसके खाता संख्या 58 में अंकित हाल खसरा संख्या 114 से 117 कुल किता 4 कुल रकबा 09–14–00 में बिरदा वल्द बहादरसिंह 1 हिस्सा देवीसिंह वल्द अमरसिंह 1 हिससा कौम रावत सा. देह दर्ज है। **प्रदर्श डी–8** ग्राम मालपुरा की जमाबन्दी संवत् 2042–45 है जिसके खाता संख्या 56 में अंकित हाल खसरा संख्या 114 से 117 कुल किता 4 कुल रकबा 09–14–00 में बिरदा वल्द बहादुरसिंह 1 हिस्सा देवीसिंह वल्द अमरसिंह 1 हिससा कौम रावत सा. देह दर्ज है। **प्रदर्श डी–9** की जमाबन्दी संवत् 2046–49 है जिसमें खसरा संख्या 111 व 112 जिसमें खसरा संख्या 111 में जरिए नामान्तरकण संख्या 87 दिनांक 07.04.93 से मोहनसिंह वल्द देवीसिंह रावत सा. देह गैर खातेदार अंकित है। **प्रदर्श डी–10** ग्राम मालपुरा की जमाबन्दी संवत् 2046–49 है जिसके खाता संख्या 58 में अंकित हाल खसरा संख्या 114 से 117 कुल किता 4 कुल रकबा 09–14–00 में बिरदा वल्द बहादुरसिंह 1 हिस्सा देवीसिंह वल्द अमरसिंह 1 हिस्सा कौम रावत सा. देह दर्ज है तथा इसी जमाबन्दी में अंकित नामा.सं. 93 दिनांक 25.05.92 से देवीसिंह के बजाय मु. सायरी बेवा देवीसिंह व मोहन, पप्पू बा. बसरबराही सायरी माता खुद पि. देवीसिंह के नाम अंकन की स्वीकृति होना दर्ज है। **प्रदर्श डी–11** ग्राम मालपुरा की जमाबन्दी संवत् 2050–53 के खाता संख्या 1 है जिसमें खसरा संख्या 109, 110 व 112 अन्य खसरान् के साथ सिवायचक दर्ज है तथा जरिए नामा.सं. 85 दिनांक 24.01.95 से खसरा संख्या 109 व 110 बिरधा वल्द बाद कौम रावत सा. देह गैर खातेदार (अलोटीज दिनांक 26.05.92) के नामान्तरकरण स्वीकृत होने का अंकन है। **प्रदर्श डी–12** ग्राम मालपुरा की जमाबन्दी संवत् 2050–53 है जिसके खाता संख्या 80 में बिरदा वल्द बहादुरसिंह 1 हि. मु. सायरी बेवा देवीसिंह व मोहनसिंह पप्पू बालिग टीकम भगवानसिंह मंगलसिंह नाबालिग बसरबराही मु. सायरी माता खुद पि. देवीसिंह 1 हि. कौम रावत सा.देह दर्ज है। **प्रदर्श डी–13** ग्राम मालपुरा की जमाबन्दी संवत् 2050–53 के खाता संख्या 168 है जिसमें खसरा संख्या 111 रकबा 02–07–00 मोहनसिंह वल्द देवीसिंह कौम रावत सा0 देह गैर खातेदार के नाम दर्ज है तथा इसी जमाबन्दी में लगे नामान्तरकरण संख्या 194 दिनांक 08.02.97 से (अपर जिला कलेक्टर सा. अजमेर क्रमांक 14 दिनांक 02.01.96 ख.नं. 111 मिन रकबा 00–15–00) किस्म रास्ता सिवायचक का नामान्तरकरण स्वीकृत होना दर्ज है। **प्रदर्श डी–14** ग्राम मालपुरा की प्रमाणित जमाबन्दी संवत् 2054–57 है जिसके खाता संख्या 102 में खसरा संख्या 114 से 117 कुल किता कुल रकबा 09–14–00 में बिरदा वल्द बहादुरसिंह 1 हि. मु. सायरी बेवा देवीसिंह, मोहनसिंह पप्पू बालिग टीकम, भगवानसिंह, मंगलसिंह नाबालिग बसरबराही मु. सायरी माता खुद पि. देवीसिंह 1 हि. कौम रावत सा.देह खातेदार दर्ज है। **प्रदर्श डी–15** ग्राम मालपुरा की प्रमाणित जमाबन्दी संवत् 2054–57 के खाता संख्या 1 में खसरा संख्या 112 सिवायक दर्ज है। **प्रदर्श डी–16** ग्राम मालपुरा की जमाबन्दी संवत् 2058–61 है जिसके खाता संख्या 104 में बिरदा वल्द बहादुरसिंह 1 हि. मु. सायरी बेवा देवीसिंह मोहनसिंह पप्पू बालिग टीकम भगवानसिंह मंगलसिंह नाबा. बसरबराही मु. सायरी माता खुद पि. देवीसिंह 1 हि. कौम रावत सा.देह खातेदार दर्ज है तथा इसी जमाबन्दी में लगे नामान्तरकरण संख्या 387 दिनांक 05.09.2008 जरिए रजिस्टर्ड दस्तावेज जरिये न्यायालय अपर जिला के आदेश तहसीलदार ब्यावर के क्रमांक भूअ/08/3078 दिनांक 26.08.2008 की पालना में ख.नं. 114 रकबा 02–10–00, 117 रकबा 02–01–00 पर बिरदासिंह पुत्र बहादुरसिंह कौम रावत के नाम खातेदारी दर्ज करने की स्वीकृति होने का अंकन है। **प्रदर्श डी–17** ग्राम मालपुरा की प्रमाणित जमाबन्दी संवत् 2058–61 के खाता संख्या 1 में खसरा संख्या 112 सरकारी भूमि दर्ज है। **प्रदर्श डी–18** ग्राम मालपुरा की प्रमाणित जमाबन्दी संवत् 2058–61 का खाता संख्या 181 है जिसमें खसरा संख्या 111/1 रकबा 01–12–00 मोहनसिंह वल्द देवीसिंह कौम रावत सा. देह गैर खातेदार के नाम दर्ज है तथा इसी जमाबन्दी में नामान्तरकरण संख्या 387 दिनांक 05.09.2008 जरिए रजिस्टर्ड दस्तावेज जरिये न्यायालय अपर जिला के आदेश तहसीलदार ब्यावर

..................लगातार

पीयूष समारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

के क्रमांक भूअ/08/3078 दिनांक 26.08.2008 की पालना में ख.नं. 111/1 रकबा 01–12–00 पर बिरदासिंह पुत्र बहादुरसिंह कौम रावत के नाम खातेदारी दर्ज करने की स्वीकृति होने का अंकन दर्ज है। **प्रदर्श डी–19** राजकीय माध्यमिक विद्यालय मालपुरा का पाठशाला प्रवेशानुज्ञा (ट्रांसफर सर्टिफिकेट) है जिसमें भगवानसिंह पुत्र स्व. श्री देवीसिंह की जन्म दिनांक 15–03–1984 अंकित है।

उक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार खसरा संख्या 114 व 117 के सम्पूर्ण रकबे के बेचान का इकरार किया गया तथा इसी इकरारनामें के आधार पर माननीय अपर जिला न्यायाधीश महोदय ने प्रदर्श–6 निर्णय दिनांक 30.05.2002 से वादी का वाद डिक्री किया है जिसमें भगवानसिंह पुत्र स्व. देवीसिंह के नाबालिग संबंधी कोई कथन अंकित नहीं है। इसके अतिरिक्त भी प्रतिवादी संख्या 2 श्री मोहनसिंह पुत्र देवीसिंह जाति रावत ने अपने प्रतिपरीक्षण (जिरह) में यह स्पष्ट रूप से कथन किए हैं कि वादग्रस्त आराजियात पर वादीगण का ही कब्जा है जो प्रदर्श–5 खसरा गिरदावरी से भी साबित होता है। सरकारी भूमियों बाबत् वादपत्र में कोई विवाद होना अंकित नहीं है तथा काउन्टर क्लेम में प्रतिवादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष खसरा संख्या 114, 117 बाबत् ही है। चूंकि माननीय अपर जिला न्यायाधीश महोदय ब्यावर ने उक्त खसरा संख्या 114 व 117 के विषय में डिक्री पारित कर उक्त खसरान् के सम्पूर्ण रकबे का इकरारनामें के आधार पर बेचानपत्र निष्पादित करवाया गया है जिस पर यह न्यायालय किसी प्रकार की टिप्पणी करना न्यायोचित नहीं समझता है। उक्त सम्पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य से प्रतिवादीगण यह तनकी सिद्ध करने में कासिर रहे हैं। अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण तय पाई जाती है।

तनकी नम्बर – 6 अनुतोष ?

उक्त तनकियात व विवेचन तथा दस्तावेजी साक्ष्य से निष्कर्षतः वादग्रस्त खसरा संख्या 114, 115, 116 ,117 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बराबर–बराबर हिस्से पूर्व में चले आ रहे थे, परन्तु उक्त वादग्रस्त खसरा संख्या 114 व 117 का सम्पूर्ण रकबे के बेचान का इकरार किये जाने के कोई हक अधिकार अकेले प्रतिवादीगण को नहीं थे, इसके बावजूद खसरा संख्या 114, 117 की भूमियों का इकरार किया जाना यह दर्शाता है कि उनके मध्य पूर्व में वादग्रस्त भूमियों बाबत् बाहमी बंटवारा हो चुका था जिससे वादीगण के पिता के हिस्से में खसरा संख्या 115, 116 तथा प्रतिवादीगण के हिस्से में खसरा संख्या 114 व 117 आना ज़ाहिर होता है। इसी के आधार पर खसरा संख्या 114 व 117 के सम्पूर्ण रकबे के बेचान का इकरार किया गया तथा इसी इकरारनामें के आधार पर माननीय अपर जिला न्यायाधीश महोदय ने उनके निर्णय दिनांक 30.05.2002 से वादी का वाद डिक्री किया है। इसके अतिरिक्त भी प्रतिवादी संख्या 2 श्री मोहनसिंह पुत्र देवीसिंह जाति रावत ने अपने प्रतिपरीक्षण (जिरह) में यह स्पष्ट रूप से कथन किए हैं कि वादग्रस्त आराजियात पर वादीगण का ही कब्जा है जो खसरा गिरदावरी से भी साबित होता है। ऐसी स्थिति में वादीगण ग्राम मालपुरा के खसरा संख्या 115, 116 के सम्पूर्ण रकबे में खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाये के अधिकारी पाये जाते हैं। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण की मौजूदा स्थिति का समर्थन नहीं करते हैं। अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम मालपुरा के खसरा संख्या 115 रकबा 02–15–00 व 116 रकबा 02–08–00 की सम्पूर्ण भूमि में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त खसरान् में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के स्थान पर वादीगण का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 द्वारा प्रतिवादीगण 6

.................लगातार

पीयूष समारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

व 7 के पक्ष में किया गया बेचाननामा दिनांक 26.07.2010 तथा उक्त बेचाननामें के आधार पर हुए नामान्तरकरण संख्या 439 दिनांक 06.08.2010 तथा नामान्तरकरण संख्या 444 दिनांक 24.09.2010 को प्रभावशून्य घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 का काउन्टर क्लेम खारिज़ किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे पूर्व में चले आ रहे अपने नाम का फायदा उठाते हुए वादग्रस्त आराजियात किसी को बेचान नहीं करेंगे तथा वादीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16-04-2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पीयूष सामरिया)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

डिगरी मुकदमा इब्तादाई

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर

व अजलाम पीयुष समारिया आई. ए. एस.

राजस्व वाद संख्या 111/2010

1. श्रीमती मैथी देवी पत्नी स्व0 श्री बिरदासिंह जाति रावत
2. श्री देवासिंह पुत्र श्री बिरदासिंह जाति रावत
3. श्री बीरमसिंह पुत्र श्री बिरदासिंह जाति रावत
4. श्री पूनमसिंह पुत्र श्री बिरदासिंह जाति रावत
5. श्री टीकमसिंह पुत्र श्री बिरदासिंह जाति रावत
6. श्री उदयसिंह पुत्र श्री बिरदासिंह जाति रावत
7. श्री गोपालसिंह पुत्र श्री बिरदासिंह जाति रावत
   समस्त जाति रावत निवासियान ग्राम मालपुरा सूबेदार का बाड़िया, तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज0)
8. श्रीमती सुगनादेवी पुत्री श्री बिरदासिंह पत्नी श्री बाबूसिंह जाति रावत निवासी मालपुरा सूबेदार का बाड़िया हाल मुकाम काछबली(हेडलाई) तहसील भीम(राजसमंद)
9. श्रीमती सीतादेवी पुत्री श्री बिरदासिंह पत्नी श्री कैलाशसिंह जाति रावत निवासी मालपुरा सूबेदार का बाड़िया, हाल मुकाम देलवाड़ा शेरों की बावड़ी ।
10. श्रीमती मीरा देवी पुत्री श्री बिरदासिंह पत्नी श्री पंचमसिंह जाति रावत निवासी मालपुरा सूबेदार का बाड़िया हाल निवासी काछबली (हेलडाई) तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)

.....वादीगण

बनाम

1. श्रीमती सायरीदेवी बेवा देवीसिंह रावत निवासी मालपुरा हाल मुकाम कृष्ण मिल की चाली ब्यावर
2. श्री मोहनसिंह पुत्र श्री देवीसिंह जाति रावत निवासी सूबेदार का बाड़िया, मालपुरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज0)
3. श्री पप्पूसिंह पुत्र श्री देवीसिंह जाति रावत
4. श्री टीकमसिंह पुत्र श्री देवीसिंह जाति रावत
5. श्री भगवानसिंह पुत्र श्री देवीसिंह जाति रावत
   सभी जाति रावत निवासी ग्राम मालपुरा, सूबेदार का बाड़िया, हाल मुकाम कृष्णा मिल की चाली, ब्यावर जिला अजमेर (राज0)
6. श्री नरेन्द्रसिंह चौहान पुत्र श्री मोहनसिंह जाति रावत निवासी मांडेडा तह. ब्यावर माण्डेडा तहसील ब्यावर, जिला अजमेर (राज0)
7. श्री अमित बोहरा पुत्र श्री ज्ञानचंद जाति जैन निवासी लोकाशाह नगर, ब्यावर
8. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार साहब (लैण्ड होल्डर) ब्यावर
9. राजस्थान सरकार बजरिये जिला कलेक्टर, अजमेर राज0
10. श्रीमान् उपपंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय तहसील परिसर ब्यावर

.....प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहाजरी.....मिनजामिन मुददई रूबरू.....मिनजामिन मुददायलह पेश हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम मालपुरा के खसरा संख्या 115

.....लगातार

पीयूष समारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

रकबा 02–15–00 व 116 रकबा 02–08–00 की सम्पूर्ण भूमि में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त खसरान् में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के स्थान पर वादीगण का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 द्वारा प्रतिवादीगण 6 व 7 के पक्ष में किया गया बेचाननामा दिनांक 26.07.2010 तथा उक्त बेचाननामें के आधार पर हुए नामान्तरकरण संख्या 439 दिनांक 06.08.2010 तथा नामान्तरकरण संख्या 444 दिनांक 24.09.2010 को प्रभावशून्य घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे पूर्व में चले आ रहे अपने नाम का फायदा उठाते हुए वादग्रस्त आराजियात किसी को बेचान नहीं करेंगे तथा वादीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी किया जाता है।

निजी..................मुबलिक..................बाबत..............खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाधि तक..................की अदा करें। बहस्ब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16-04-2018 को जारी किया गया।

(पीयूष समारिया)
आई०ए०एस०
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

(पीयूष समारिया)
आई०ए०एस०
उपखण्ड अधिकारी एव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर